

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2**लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त, 2020**

विषय— जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एल.डब्लू.ई.) के अन्तर्गत रामपुर बरकोलिया बाया मज़कला से लौवा सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 20.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 8.01 हेठा आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/35326/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-129/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/35326/2018, दिनांक 16.07.2020 तथा शासन स्तर पर गठित समिति की दिनांक 18.08.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या-386/11-सी-कार्यवृत्त लखनऊ, दिनांक 19.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं-11-09/1989-एफसी-(एल.डब्लू.ई.), दिनांक 15.02.2018 के क्रम में जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एल.डब्लू.ई.) के अन्तर्गत रामपुर बरकोलिया बाया मज़ कला से लौवा सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 20.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 8.01 हेठा आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1.	The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.
2.	User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.
3.	Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.
4.	The UA will submit scheme for Compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.
5.	The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.
6.	In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval accorded by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.
7.	The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.

8.	The legal status of the land shall remain unchanged.
9.	The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ).
10.	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government
11.	The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5 th of every month regularly regarding approval of such cases.
12.	The User Agency shall be responsible for any loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.
13.	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal
14.	Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.
15.	The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैंस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वर्नों की क्षति न हो।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
19.	प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जी रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख-रखाव किया जायेगा।
20.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा०उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३ / २००७- एफ० सी०, दिनांक ०५-०२-२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
21.	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
23.	भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३ / २००७-एफसी(पीटी), दिनांक १९-८-२०१० तथा पत्र संख्या-J-११०१३ / ४१ / २००६-IA-II(I), दिनांक ०२ दिसम्बर, २००९ के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
24.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
25.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

26.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक:11-9 / 98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशों-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।
27.	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तें/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3— कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-पी-60/81-2-2020 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।
4. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5. अधिशास्त्री अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ दीपक कोहली)
उप सचिव।